



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 359 राँची, शुक्रवार,

7 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या--5/आरोप-1-110/2018-6936 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सत्यम कुमार, झा0प्र0से0, (पंचम बैच, गृह जिला- औरंगाबाद 'बिहार'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू एवं तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजधनवार गिरिडीह के विरुद्ध मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा ग्राम स्वराज अभियान-ii इत्यादि में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता तथा जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्यवहार करने, डॉ0 रविन्द्र राय, माननीय सांसद के सांसद प्रतिनिधि एवं महिला कर्मों के साथ दुर्यवहार करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1202, दिनांक 08.08.2018 एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1864, दिनांक 16.05.2019 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू तथा श्री आनंद कुमार वर्मा, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SATYAM KUMAR 110017710579	श्री सत्यम कुमार, झा0प्र0से0, (पंचम बैच, गृह जिला- औरंगाबाद 'बिहार'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू/गिरिडीह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
